

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 347 / 14

संस्थापन दिनांक :- 17 / 06 / 14

फाइलिंग नं. 233504004752014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

सरफराज उर्फ फर्रा पिता पीर खान
 उम्र 30 वर्ष, निवासी भीम नगर झोपड़ पट्टी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 14.03.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 31.05.2014 को दोपहर करीब 12:45 बजे थाना आमला से 02 किमी. पश्चिम में स्थित गुरुनानक स्कूल बोड़खी भीमनगर आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, फल की चौड़ाई डेढ़ इंच और लंबाई 8 इंच एवं मूठ की लंबाई 4 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 31.05.2014 को प्रधान आरक्षक बाबूलाल पवार को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गुरुनानक स्कूल के पास भीमनगर में रोड पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे की छुरी लेकर आने जाने वाले को डरा धमका रहा है जिस पर वह हमराह स्टाफ एफ रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे एक व्यक्ति अवैध रूप से लोहे की धारदार छुरी लिए मिला जिसे उसने हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा जिसने अपना नाम सरफराज पिता पीरखां बताया तथा हथियार रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को

गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 386/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.05.2014 को दोपहर करीब 12:45 बजे थाना आमला से 02 किमी. पश्चिम में स्थित गुरुनानक स्कूल बोड़खी भीमनगर आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, फल की चौड़ाई डेढ़ इंच और लंबाई 8 इंच एवं मूठ की लंबाई 4 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 बाबूलाल पवार (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 31.05.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ गुरुनानक स्कूल के पास पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा अभियुक्त के कब्जे से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 386/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए को वही आयुध होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 कमलदास (अ.सा.-1) एवं शेख अलीम (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी कमलदास ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2)

पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी कमलदास (अ.सा.-1) एवं शेख अलीम (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर बाबूलाल पवार (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 बाबूलाल पवार (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर गुरुनानक स्कूल आमला मौके पर पहुंचना, अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर उसकी गिरफ्तारी उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि वह गवाहों को मौके पर साथ लेकर गया था। मौके पर अभियुक्त किस व्यक्ति को डरा रहा था उसका नाम नहीं बताया गया था। जब वह मौके पर पहुंचा तो घटना स्थल पर अभियुक्त के अलावा और कोई नहीं था। मौके पर अभियुक्त की किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही थी। अभियुक्त मौके पर चाकू हाथ में लेकर हिला रहा था। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया है। जप्तशुदा छुरी की नाप किससे की गयी इस बात का उल्लेख भी जप्ती पत्रक में नहीं किया गया है।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। विवेचक साक्षी बाबूलाल पवार के कथनों से जप्तशुदा छुरी की नापजोप किये जाने के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण प्रकट नहीं हो रहा है। रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) में मौके पर ही जप्तशुदा आयुध सीलबंद किया गया हो इस बात का कोई उल्लेख नहीं है जिससे कि अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है और निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 31.05.2014 को दोपहर करीब 12:45 बजे थाना आमला से 02 किमी. पश्चिम में स्थित गुरुनानक स्कूल बोडखी भीमनगर आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी

कुल लंबाई 12 इंच, फल की चौड़ाई डेढ़ इंच और लंबाई 8 इंच एवं मूठ की लंबाई 4 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया अतः अभियुक्त सरफराज को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)